

5/9/19

पत्रावली पेश हुई।

उभय पक्ष के वकील उप0।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 418/371 रकबा 118.18 बीघा मौजा-नागाणा, पटवारी हल्का- आंरग, भु- अभिलेख निरीक्षक- भीयाड़, तह0 शिव में भूमि आई हुई है।

प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढा ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन कस्त कर लेते है। तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 05 को तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील ईश्वरसिंह भाटी ने जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम विप्रार्थीगण के राज्य रेकर्ड में अंकित रकबे को प्रभावित किये बिना व हमारी उपस्थिति में प्रार्थी के खेत की नेखमबदी की जाती है तो हम विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थी की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

- आदेश -

अतः प्रभुदान पुत्र मंगलदान, जाति- चारण, नि0 नागाणा (आंरग) तह0 शिव वगैरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 418/371 रकबा 118.18 बीघा मौजा-नागाणा, पटवारी हल्का- आंरग, भु- अभिलेख निरीक्षक- भीयाड़, तह0

इपुखण्ड अधिकारी
शिव

शिव के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रुपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंबदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 18/2019

क्रमांक/आवेदन/19/1884

दिनांक- 05.04.2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
प्रभुदान पुत्र मंगलदान, जाति- चारण, नि० नागाणा (आंरग) तह० शिव वगैरा (2)		भीखसिंह पुत्र खंगारसिंह वगैरा (5)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम आदेश		

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 418/371 रकबा 118.18 बीघा मौजा-नागाणा, पटवारी हल्का- आंरग, भू-अभिलेख निरीक्षक- भीयाड़, तह० शिव के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थी के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/1885-1890

दिनांक-05.04.2019

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी आंरग को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण प्रभुदान पुत्र मंगलदान वगैरा (2) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण भीखसिंह पुत्र खंगारसिंह वगैरा (05) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

